निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 आश्विन 1938 (श0)

(सं0 पटना 803) पटना, शुक्रवार, 30 सितम्बर 2016

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

22 सितम्बर 2016

सं0 FSC/110/2016–302—माननीय सर्वोच्च न्यायालय Writ Petition (c) संख्या 159/12 में दिनांक 05.08.2016 को पारित न्यायादेश के आलोक में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद में अपमिश्रण की रोक थाम एवं खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा विनियम, 2011 को राज्य में प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु मुख्य सचिव, बिहार सरकार, बिहार, पटना के अध्यक्षता में ''राज्य उच्च स्तरीय समिति'' (State High Level Committee) की गठन की जाती है।

2. गठित की गयी राज्य उच्च स्तरीय समिति में विभिन्न विभागों के निम्नांकित सदस्य होगे :–

1.	**मुख्य सचिव, बिहार सरकार**	**अध्यक्ष**
2.	प्रधान सचिव, स्वास्थ्य –सह– खाद्य संरक्षा आयुक्त, बिहार सरकार	सदस्य सचिव
3.	प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार	सदस्य
4.	आरक्षी महानिदेषक, बिहार सरकार	सदस्य
5.	सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार	सदस्य
6.	सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार सरकार	सदस्य
7.	निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ (खाद्य एवं औषधि नियंत्रण), बिहार	सदस्य

3. उक्त समिति के सदस्यों द्वारा दुग्ध एवं दुग्ध से निर्मित खाद्य एवं पेय पदार्थों में अपमिश्रण की रोक थाम हेतु मूल्यांकन, अनुश्रवण एवं सलाह/सहयोग अपेक्षित है, जो निम्नलिखित है : –

3.1 खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के विभिन्न धाराओं को पूरे राज्य में प्रभावी रूप से लागू कराने एवं दण्ड व्यवस्था को सुदृढ़ करने में सहयोग करना।

3.2 दुग्ध एवं दुग्ध से निर्मित खाद्य/पेय पदार्थ में अपमिश्रण की रोक थाम कार्यक्रम से संबंधित कार्यों का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हो ताकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

3.3 खाद्य संरक्षा अधिकारियों/अभिहित अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा करना एवं दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद में अपमिश्रण हेतु विशेष निदेश देना।

3.4 दुग्ध अपमिश्रण की रोक थाम से संबंधित मामले पर निर्णय लेना तथा जिला स्तरीय गठित समिति को सुझाव एवं मागदर्शन देना।

3.5 माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायादेश के आलोक में भारतीय दंड संहिता की धारा 272 एवं 273 में आवश्यक संशोधन हेतु मंतव्य/मार्गदर्शन समिति को उपलब्ध कराना।

3.6 दुग्ध एवं दुग्ध से निर्मित खाद्य/पेय पदार्थों के अपमिश्रण की रोक थाम हेतु आम जनता की शिकायत दर्ज कराने हेतु जनता को टॉल फ्री नम्बर की व्यवस्था करना एवं विज्ञापन के माध्यम से आम जनता को जागरूक करना ।

3.7 राज्य उच्च स्तरीय समिति की बैठक अर्द्धवार्षिक या अध्यक्ष महोदय के कॉल पर कभी भी मनोनित सदस्यों की बैठक सुनिश्चित करना तथा दुग्ध एवं दुग्ध से निर्मित खाद्य पदार्थ में अपमिश्रण की रोकथाम से संबंधित मंतव्य/मार्गदर्शन समिति के पटल पर रखना।

3.8 उक्त समिति की बैठक में 1/3 सदस्यों के भाग लेने पर बैठक पूर्ण माना जाएगा।

3.9 अध्यक्ष महोदय के निदेशानुसार समिति के सदस्यों के संख्या को बढ़ाया या घटाया जा सकता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

शेखर चन्द्र वर्मा,

सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 803-571+100-**डी0टी0पी0।**

Website: http://egazette.bih.nic.in